न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 5/2023 प्रार्थना पत्र/251ए. दिनांकः– 27.02.2025

अनवान

1– नारायणसिंह पिता दलपत सिंह राजपूत नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
2– गोपीबाई पत्नी भैरूलाल डांगी नि. बोहेड़ा राजपूत नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
3– नारायण पिता भैरूलाल डांगी नि. बोहेड़ा राजपूत नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
4– लक्ष्मण पिता भैरूलाल डांगी नि. बोहेड़ा राजपूत नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी

–प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

1– कालूलाल पिता उदयलाल सालवी नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
2– गणेशलाल पिता पन्नालाल डांगी नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
3– अणछाई पिता भैरूलाल डांगी नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
4– जगन्नाथी पिता भैरूलाल डांगी नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
5– नौजी पिता भैरूलाल डांगी नि. बोहेड़ा तह. बडीसादडी
6– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

उपस्थित– श्री जी.एस. झाला वकील प्रार्थीगण
श्री राजेश व्यास वकील विपक्षी नम्बर 2 लगायत 5

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा सुथारिया खेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा बी तहसील बडीसादडी में स्थित होकर नकल जमाबन्दी सवत् 2076–2079 के अनुसार नया खाता संख्या 99 में दर्ज होकर आराजी नम्बर 88 रकबा 2.9300 एवं आराजी नं. 89 रकबा 0.9000 हैक्ट. है। प्रार्थीगण 2 लगायत 4 व विपक्षी नं. 3 लगायत 5 के खातेदारी कब्जेयाबी व स्वामित्व की आराजीयात खाता संख्या 101 की आराजी नम्बर 90 रकबा 2.0700 हैक्ट. मौजा सुथारिया खेडा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर प्रार्थीगण के कब्जेयाबी व स्वामित्व की आराजीयात है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात पर जाने का एकमात्र रास्ता [illegible]क जिसमें नम्बर 233 होकर उससे विपक्षी क्रमांक 1 कालूलाल की आराजी नं. 5474/92 है [illegible] मेर पर से होकर आगे विपक्षी क्रमांक 2 गणेशलाल पिता पन्नालाल की आराजी [illegible]91 की मेर से होता हुआ प्रार्थीगण 2 लगायात 4 व विपक्षी क्रमांक 3 लगायत 5 की आराजी [illegible]0 पर आता है तथा [illegible]बाद आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 16:37:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

प्रार्थी नारायणसिंह की आराजी नम्बर 88, 89 पर जाता है । उक्त रास्ता पुर्वजो के समय से होकर वादीगण व उनके पुर्वज इसी रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी आराजी पर आने जाने के लिए करते है। तथा किसी भी व्यक्ति को उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं होकर वादीगण अपनी आराजी की हकाई हुताई के लिए टैक्टर हल बेल आदि इसी रास्ते से होकर ले जाते है तथा रास्ता आराजी नम्बर 5474/92 से आराजी नम्बर 91 फिर 90 व उसके बाद 89 व 88 की मेर पर होकर पहुचता है। जिसे नजरी नक्क्षे में दर्शाया गया हैं । आराजी नम्बर 88, 89, 90 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता मुख्य सड़क से यही होकर रिकोर्ड में भी उक्त रास्ता दर्ज नहीं है इस रास्ते को नजरी नक्क्षे में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण दोनो ही उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी आराजीयात पर आने जाने हल बेल कृषि उपकरण लाने ले जाने व फसल बुवाई व कटाई के बाद फसल टेक्टर व बेलगाडी से इसी रास्ते लाते ले जाते है। उपरोक्त आराजी के एक तरफ डुंगला तहसील की सरहद है तथा दुसरी तरफ प्रार्थीगण व विपक्षीगण की आराजी है तथा डूंगला की सरहद से प्रार्थीगण व विपक्षीगण की आराजी के बीच करीब 20 फीट का रास्ता मौके पर छुटा हुआ होकर प्रार्थीगण व विपक्षीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु वर्तमान में उक्त रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण उक्त रास्ते को रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र से तलब किया गया। विपक्षी नं. 2, 3, 4, 5 की ओर श्री राजेश व्यास अधिवक्ता ने पावर के साथ इकबालिया जवाब पेश किया। विपक्षी नं. 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तहसीलदार बडीसादडी से दिनांक 23.09.2024 को रास्ते की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई । जिसके अनुसार काश्तकारों द्वारा रास्ता आराजी नम्बर 5474/92, 5478/92, 91 व 92 में होकर रास्ता चाहा गया है। उक्त आराजीयात पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यह न्यूनतम दूरी का रास्ता है। मौके पर 12 फीट रास्ता चालू है। मौजा सुथारिया खेड़ा की आराजी नं. 88, 89 व 90 में जाने हेतु रास्ते में जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल आराजी वार आराजी नम्बर 5474/92 रकबा 0.02 किस्म चाही 4 क्षे. 12 गुणा 6 = 72 मी. आराजी नं. 5478/92 रकबा 0.20 आबादी क्षे. 75 गुणा 6 = 450 मी. आराजी नम्बर 91 रकबा 1.90 चाही 4 क्षे. 78 गुणा 6 = 468 मी. आराजी नम्बर 90 रकबा 2.07 किस्म चाही 4 क्षे. 95 गुणा 6 = 570 मी. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का रकबा क्षेत्र 1560 वर्गमीटर है। उपरोक्त भूमि बोहेड़ा–डूंगला रोड से लगती हुई व सिंचित है। इस भूमि की डी.एल.सी. दर 376626 रू. प्रति बीघा व आबादी भूमि दर 169 रू. वर्गफीट है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 88, 89, 90 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है। इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की उक्त आराजी में से होकर जाने के लिए चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण आवागमन हेतु वास्तविक रूप से रास्ता चाहते है।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 16:37:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

(63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 5474/92 रकबा 0.02 किस्म चाही 4 क्षे. 12 गुणा 6 = 72 मी. आराजी नं. 5478/92 रकबा 0.20 आबादी क्षे. 75 गुणा 6 = 450 मी. आराजी नम्बर 91 रकबा 1.90 चाही 4 क्षे. 78 गुणा 6 = 468 मी. आराजी नम्बर 90 रकबा 2.07 किस्म चाही 4 क्षे. 95 गुणा 6 = 570 मी. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का रकबा क्षेत्र 1560 वर्गमीटर है। जिसका तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1– ग्राम सुथारिया खेडा पटवार हल्का बोहेडा बी की खसरा संख्या 88, 89, 90 भूमि पर पहुंच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पड़ोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 5474/92 रकबा 0.02 किस्म चाही 4 क्षे. 12 गुणा 6 = 72 मी. आराजी नं. 5478/92 रकबा 0.20 आबादी क्षे. 75 गुणा 6 = 450 मी. आराजी नम्बर 91 रकबा 1.90 चाही 4 क्षे. 78 गुणा 6 = 468 मी. आराजी नम्बर 90 रकबा 2.07 किस्म चाही 4 क्षे. 95 गुणा 6 = 570 मी. प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का रकबा क्षेत्र 1560 वर्गमीटर पडती है। भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे ।

2– रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 1560 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 376626/–रूपये प्रति बीघा से मूल्याकंन तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि कीमत की दुगनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमा[illegible] किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा यदि वर्तमान में डी.एल.सी. दर में परिर्वतन हो गया है तो उसी अनुसार डी.एल.सी. [illegible] की जावे।

3– रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीगण [illegible] एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:37:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर दिनांक 27.02.2025 को सुनाया गया ।

(प्रवीण कुमार मीणा) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:37:37 IST
Reason: SelfAttested